



15 मार्च, 2019 को शेयरधारकों के लिए आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक बुलाने के लिए 18 फरवरी, 2019 को दी गई सूचना के लिए शुद्धि-पत्र ।

हम 18 फरवरी, 2019 के नोटिस जो 19 फरवरी, 2019 को बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ है का उल्लेख करते हुए शेयरधारकों को सूचित करते हैं कि शुक्रवार 15 मार्च 2019 को प्रातः 10:30 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूशनल एरिया, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 (जिसके बाद "नोटिस" संदर्भित किया जाएगा) में आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक का संदर्भ देते हैं।

सदस्यों को इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विशेष संकल्प संख्या 2 में निम्नलिखित सूचना में सुधार करने हेतु इस बारे में सूचित किया जाता है:

- दूसरे पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति में, 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूजी निर्गम और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2009 को (इसमें "सेबी (आईसीडीआर) विनियम" के संदर्भित) को ' भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूजी जारी और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2018, संशोधित ("आईसीडीआर विनियम " के रूप में संदर्भित) के रूप में पठित किया जाए;
- दूसरे पैराग्राफ की चौदहवीं पंक्ति में, आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII को 'आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के तहत, पढ़ा जाए;
- तीसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति में, ' आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII को ' आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के तहत, पढ़ा जाए;
- तीसरे पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में, आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के भीतर आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के रूप में पढ़ा जाए; तथा
- तीसरे पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में, आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII को आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के रूप में पढ़ा जाए; तथा
- तीसरे पैराग्राफ की पांचवीं पंक्ति में, विनियम 85 (1) को , 'प्रोविसो टू रेगुलेशन 176 (1)' के रूप में पढ़ा जाए ।
- मद संख्या 1 (कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए इक्विटी शेयरों का निर्गम) नोटिस के ईएसपीएस आधार (कर्मचारी शेयर खरीद योजना) पर बैंक के मद संख्या 2 कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए इक्विटी शेयरों के निर्गम (इक्विटी शेयर का निर्गम) ईएसपीएस आधार (कर्मचारी शेयर खरीद योजना) के रूप में पढ़ा जाए ।
- नोटिस के मद संख्या 2 (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का अंक) को मद संख्या 3 (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयरों) के रूप में पढ़ा जाए। '
- मद संख्या 1 के रूप में नया एजेंडा - अधिकृत शेयर पूंजी के पुनर्वर्गीकरण के लिए शेयरधारकों को ड्राफ्ट नोटिस निम्नानुसार दिया जाए व पढ़ा जाए:

"मद नंबर 1 - अधिकृत शेयर पूंजी के पुनःवर्गीकरण के लिए शेयरधारकों को ड्राफ्ट नोटिस:

1. बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी का पुनःवर्गीकरण ।

बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी के पुनर्वर्गीकरण पर विचार करने के लिए तथा यदि उपयुक्त माना जाता है तो संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने के लिए निम्नलिखित विशेष संकल्प:

"संकल्प है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (किसी संशोधन या उसके पुनः लागू करने सहित) और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की मौजूदा अधिकृत पूंजी रु. 3,000 करोड़ (केवल तीन हजार करोड़ रुपये) है, जिसको 75,00,00,000 (पिचहत्तर करोड़) जिसका अंकित मूल्य रु.10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है तथा 225,00,00,000 (दो सौ पच्चीस) बिना अवधि के गैर-संचयी वरीयता जिसका अंकित मूल्य रु.10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है, के इक्विटी शेयरों में बांटा गया है और इस प्रकार पुनर्वर्गीकरण से रु. 3,000 (केवल तीन हजार करोड़ रुपये) को 300,00,00,000 (तीन सौ) के इक्विटी शेयरों में बांटा गया, जिनका अंकित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है।"

"इसके आगे संकल्प है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक(कों) अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी या कंपनी सचिव इस तरह के सभी कदमों और कार्रवाइयों को गंभीरता से करने के लिए अधिकृत हैं तथा वे निर्देश भी दे सकते हैं जिन्हें वे अपने विवेकाधीन आवश्यक समझते हैं और किसी भी प्रश्न का निपटान, सदस्यों की किसी अन्य सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना हो सकता है या अन्यथा अंत तक और इस आशय के लिए कि सदस्यों को उनकी स्वीकृति दी जानी चाहिए, इस संकल्प के अधिकार द्वारा स्पष्ट है।"

- व्याख्यात्मक विवरण संख्या I (ईएसपीएस के आधार पर कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी करना (कर्मचारी शेयर खरीद योजना)) को 'व्याख्यात्मक विवरण संख्या II' के रूप में पढ़ा जाएगा।
- व्याख्यात्मक विवरण संख्या II (योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम) को 'व्याख्यात्मक विवरण संख्या III' के रूप में पढ़ा जाएगा।
- एक नया व्याख्यात्मक विवरण संख्या I (अधिकृत शेयर पूंजी का पुनर्वर्गीकरण) निवेश किया जाएगा जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

I. अधिकृत शेयर पूंजी का पुनर्वर्गीकरण

बैंक की मौजूदा अधिकृत पूंजी रु. 3,000 करोड़ (केवल तीन हजार करोड़ रुपये) है, जिसको 75,00,00,000 (पिचहल्टर करोड़) जिसका अंकित मूल्य रु.10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है तथा 225,00,00,000 (दो सौ पच्चीस करोड़) बिना अवधि के गैर-संचयी वरीयता जिसका अंकित मूल्य रु.10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है, के इक्विटी शेयरों में बांटा गया है।

बैंक की मौजूदा अधिकृत पूंजी रु. 3,000 करोड़ (केवल तीन हजार करोड़ रुपये) है, जिसको 75,00,00,000 (पिचहल्टर करोड़) जिसका अंकित मूल्य रु.10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है तथा 225,00,00,000 (दो सौ पच्चीस करोड़) बिना अवधि के गैर-संचयी वरीयता जिसका अंकित मूल्य रु.10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है, के इक्विटी शेयरों में बांटा गया है और इस प्रकार पुनर्वर्गीकरण से रु. 3,000 करोड़ (केवल तीन हजार करोड़ रुपये) को 300,00,00,000 (तीन सौ करोड़) के इक्विटी शेयरों में बांटा गया, जिनका अंकित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपये) प्रति शेयर है।

मद संख्या 3 में निर्धारित संकल्प योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयरों को जारी करने से संबंधित है और इसलिए, यह बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी के पुनर्वर्गीकरण के लिए आवश्यक है।

इसलिए, बैंक के पूंजी खंड में पुनर्वर्गीकरण करने के लिए बैंक को अपने शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

तदनुसार निदेशक मद संख्या 1 में निर्धारित सामान्य संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की अनुशंसा करते हैं। बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधित परिजन किसी भी तरह से, बैंक में अपने व्यक्तिगत शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, सूचना की मद संख्या 1 में निर्धारित संकल्प में, वित्तीय रूप से या अन्य किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं।

अन्य सभी विवरण एवं जानकारी अपरिवर्तित हैं। उक्त सूचना को कृपया उपरोक्त शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए complianceofficer@psb.co.in पर ई-मेल करे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Sd/

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 07-03-2019

(एस हरीशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



Corrigendum to the Notice dated February 18, 2019 giving information to the Shareholders for convening the Extraordinary General Meeting to be held on March 15, 2019.

We refer to the Notice dated February 18, 2019 published in Business Standard on February 19, 2019 informing the shareholders for convening the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, March 15, 2019 at 10:30 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi – 110 085 (hereinafter referred to as the “**Notice**”).

Members are hereby informed that the following information is being rectified in Special Resolution No. 2 of the Notice, through this corrigendum:

- In the third line of the second paragraph, ‘*the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (herein referred to as “SEBI (ICDR) Regulations”)*’ shall be read as, ‘*the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (herein referred to as “ICDR Regulations”)*’;
- In the fourteenth line of the second paragraph, ‘*under Chapter VIII of ICDR Regulations*’ shall be read as, ‘*under Chapter VI of ICDR Regulations*’;
- In the first line of the third paragraph, ‘*pursuant to Chapter VIII of ICDR Regulations*’ shall be read as, ‘*pursuant to Chapter VI of ICDR Regulations*’;
- In the second line of the third paragraph, ‘*within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations*’ shall be read as, ‘*within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations*’; and
- In the fifth line of the third paragraph, ‘*pursuant to the Regulation 85(1)*’ shall be read as, ‘*pursuant to the Proviso to Regulation 176(1)*’.
- Item No. 1 (Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank on ESPS Basis (Employee Share Purchase Scheme)) of the Notice shall be read as ‘*Item No. 2 (Issue of Equity Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank on ESPS Basis (Employee Share Purchase Scheme))*’
- Item No. 2 (Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement) of the Notice shall be read as ‘*Item No. 3 (Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement)*’.
- New agenda as Item No. 1 - Draft Notice to the Shareholders for reclassification of the authorised share capital to be inserted and shall read as below:

“Item No. 1 - Draft Notice to the Shareholders for reclassification of the authorised share capital:

1. Reclassification of Authorised Share Capital of the Bank.

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution for reclassification of Authorised Share Capital of the Bank as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and other applicable laws, the existing Authorised Share Capital of the Bank of Rs. 3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore only) divided into 75,00,00,000 (Seventy Five Crore) equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each and 225,00,00,000 (Two Hundred Twenty Five Crore) perpetual non – cumulative preference shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each be and is hereby reclassified to Rs. 3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore Only) divided into 3,00,00,00,000 (Three Hundred Crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this resolution, Managing Director and Chief Executive Officer or the Executive Directors(s) or the Chief Financial Officer or the Company Secretary be and is hereby authorised severally to take all such steps and actions and give such directions as they may in their absolute discretion deem necessary and to settle any question that may arise in this regard, without being required to seek any further consent or approval of the Members or otherwise to the end and intent that the Members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution.”

- The Explanatory Statement No. I (Issue of Equity Shares to Employees on ESPS Basis (Employee Share Purchase Scheme)) shall be read as ‘*Explanatory Statement No. II*’.
- The Explanatory Statement No. II (Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement) shall be read as ‘*Explanatory Statement No. III*’.
- A new Explanatory Statement No. I (Reclassification of Authorised Share Capital) shall be inserted which will read as follows:

I. Reclassification of Authorised Share Capital

The present authorised capital of the Bank is Rs. 3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore only) divided into 75,00,00,000 (Seventy Five Crore) equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each and 225,00,00,000 (Two Hundred Twenty Five Crore) perpetual non – cumulative preference shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only).

The resolution set out in Item No. 1 seeks to alter the authorised share capital of the Bank in order to re-classify the existing Authorised Share Capital of Rs. 3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore Only) divided into 75,00,00,000 (Seventy Five Crore) equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each and 225,00,00,000 (Two Hundred Twenty Five Crore) perpetual non – cumulative preference shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each be and is hereby reclassified to Rs. 3,000 crore (Three Thousand Crore) divided into 300,00,00,000 (Three Hundred Crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each. Resolution set out in Item No. 3 is relating to issuance of the Equity Shares through qualified institutions placement and, therefore, it is necessary to reclassification of the authorised share capital of the Bank. Hence, the Bank is required to obtain approval of its shareholders to carry out reclassification in the capital clause of the Bank.

The Directors accordingly recommend the resolution at set out in Item No. 1 for your approval as an Special Resolution. None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their respective relatives, are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at Item No. 1 of the Notice except to the extent of their individual shareholding in the Bank.”

All other particulars and details remain unchanged. The said Notice may please be read along with above corrigendum. For any queries, please write a mail to complianceofficer@psb.co.in

**By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK**

Sd/

**Place: New Delhi
Date: 07-03-2019**

**(S Harisankar)
Managing Director & CEO**